



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 माघ, 1943 (श०)

संख्या - 38 राँची, शुक्रवार,

4 फरवरी, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

27 जनवरी, 2022

संख्या-11/ए०टी०आई०-08-03/2021 का० 403--श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान (स्कीपा), राँची के शासी निकाय के दिनांक 16.03.2016 को सम्पन्न 37वीं बैठक में संस्थान की शक्ति/निधि में बढ़ोत्तरी/पुनर्गठन के प्रस्ताव पर विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि संस्थान के महानिदेशक चूँकि मुख्य सचिव स्तर के पदाधिकारी होते हैं, अतः उन्हें सचिव स्तर की सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान करने का आदेश निर्गत किया जाए ।

2. श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची के पत्र सं० 716 दिनांक 03.11.2020 के माध्यम से उपरोक्त बैठक में लिए गए निर्णय का सन्दर्भ लेते हुए संस्थान के महानिदेशक को सचिव स्तर की सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची को उपलब्ध कराया गया। स्कीपा के महानिदेशक को सचिव स्तर की शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

3. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक को सचिव स्तर के पदाधिकारी की निम्नांकित शक्तियाँ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है:-

(i) मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301, दिनांक 11.03.2015 द्वारा यथा संशोधित के अन्तर्गत योजनाओं की स्वीकृति से संबंधित सभी शक्तियाँ। राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधान स्वतः लागू होंगे।

(ii) **प्रशासनिक शक्तियाँ-** सचिव को प्रदत्त सभी प्रशासनिक शक्तियाँ, जो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के संदर्भ में हो, (स्थानान्तरण/पदस्थापन तथा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के तहत कार्रवाई को छोड़कर)। राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधान स्वतः लागू होंगे।

(iii) **प्रशिक्षण से संबंधित शक्तियाँ -**

(क) नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात् आधारभूत प्रशिक्षण हेतु निर्धारित 64 सप्ताह का प्रशिक्षण आवश्यकतानुसार परीक्ष्यमान पदाधिकारियों को श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान अथवा जिला में कराया जाएगा।

(ख) जिलों से संस्थान प्रशिक्षण तथा संस्थान से जिलों में प्रशिक्षण हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जिला का आवंटन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा किया जायेगा।

(ग) श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में प्रशिक्षण/जिला में प्रशिक्षण हेतु विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना के प्रशिक्षण कार्यक्रम में परीक्ष्यमान उपसमाहर्त्ता के प्रशिक्षण Schedule में आवश्यकतानुसार संशोधन महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान करेंगे।

4. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो शक्तियाँ सचिव को प्रत्यायोजित की जायेंगी, वे भी महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान को प्रत्यायोजित समझी जायेंगी।

5. महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान को उपर्युक्त शक्तियाँ प्रदत्त किये जाने के उपरांत भी संस्थान का प्रशासी विभाग, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग रहेगा।

6. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संलेख ज्ञापांक 4322 दिनांक 27.08.2021 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आलोक में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 19.01.2022 में मद संख्या 44 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव।
